न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

उनवान संख्या
22/2024

तारीख दायर
27.03.2024

पीठासीन अधिकारी का नाम–दमयन्ती कंवर आर.ए.एस.

उनवान

परमेश्वरलाल उम्र 80 वर्ष पुत्र सुखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कारंगा बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज० मो.न. 9610891293

...........वादी

बनाम

1. डालचन्द उम्र 70 वर्ष पुत्र सुखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कारंगा बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज० मो.न. 9828596097
2. तहसीलदारजी फतेहपुर–शेखावाटी जिला सीकर राज०

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू०रा० अधिनियम 1956

उपस्थित– श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट ::–वादी की ओर से
श्री मुकेश पारीक– प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक 04.07.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.6054 हैक्टर लगानी 3.03 रु., खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर लगानी 1.15 रू. वाके ग्राम कारंगा बडा तहसील फतेहपुर में अवस्थित है। उक्त भूमि को इस वाद पत्र में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। वादग्रस्त भूमि का पुराना खसरा नम्बर 340/1 रकबा 1.68 हैक्टयर था तत्पश्चात् उक्त वादग्रस्त भूमि में एन.एच. 65 सडक निकलने से तथा वादग्रस्त भूमि में से भूमि अवाप्ति होने से वांदग्रस्त भूमि में से 8346 वर्गमीटर भूमि सड़क एवम परिवहन मंत्रालय भारत [illegible] नाम अवाप्त हो जाने से वादग्रस्त भूमिके पुराने खसरा नम्बर 340/1 रकबा 1.68 हैक्टयर को तीन भागों में विभक्त कर उसके तीन खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.6054 हैक्टयर, खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर, खसरा नम्बर 619/2 रकबा 0.8346 हैक्टय[illegible]ने जिनकी राजस्व अभिलेख में खातेदारी निम्न प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

01– खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.6054 हैक्टयर खातेदार डालचन्द पुत्र सुखाराम हिस्सा 1/2

02– खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर खातेदार परमेश्वरलाल पुत्र सुखाराम हिस्सा 1/2

03– खसरा नम्बर 619/2 रकबा 0.8346 हैक्टयर खातेदार सड़क एवं परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार हिस्सा पूर्ण

इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के उपरोक्त वर्णनानुसार तीन खसरा नम्बर कायम हुये हैं जिसकी प्रमाणित जमाबन्दी की नकल एवं नक्शा ट्रेश संलग्न प्रस्तुत किये जा रहे हैं। वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से बराबर बराबर हिस्से की खातेदारी है तथा पूर्व में उक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व० सुखाराम उर्फ सुखा खातेदार थे तथा उक्त सुखाराम उर्फ सुखा की मृत्यु के पश्चात् जरिये विरासत वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 जो स्व० सुखाराम उर्फ सुखा के पुत्र हैं के नाम तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माता श्रीमति तुलछी देवी पत्नी सुखाराम के नाम बहिस्सा 1/3,1/3 की बनी तत्पश्चात् वादी की माता श्रीमति तुलछी देवी की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उनकी विरासत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खुली तथा वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा बराबर 1/2,1/2 की खातेदारी बनी जो आज भी चली आ रही है। वादग्रस्त भूमि में भूमि अवाप्ति सड़क परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार के नाम हुई है उक्त एन.एच. 65 सड़क के नाम से जानी जाती है उक्त सड़क है वह मूल पुराना खसरा नम्बर340/1 रकबा 1.68 हैक्टयर के बीच में से गुजरी है तथा सड़क में जाने के बाद सड़क के दोनों तरफ बची भूमि का रकबा एक दम बराबर है तथा नया खसरा नम्बर 619/2 सड़क परिवहन मन्त्रालय के नाम तथा खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.6054 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बहिस्सा 1/2,1/2 है किन्तु रोड़ की तरमीम नक्शा ट्रेश में करते समय तथा राजस्व रिकार्ड में अंकन के समय खसरा नम्बर 619/1 का रकबा 0.6054 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर गलत एवं अंकित [illegible] जबकि एन.एच.65 रोड वादग्रस्त भूमि के सेन्टर में से निकली है तथा खसरा नम्बर 619/1 का रकबा मौके पर 0.4227 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 619/3 का रकबा 0.4227 हैक्टयर है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दोनों खसरा नम्बर के रकबे का इन्द्राज गलत [illegible] होकर खसरा नम्बर 619/1

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

रकबा 0.6054 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर दर्ज कर रखा है जो गलत दर्ज है जबकि मौके पर दोनों खसरा नम्बर का रकबा बराबर बराबर है इस कारण इस तथ्य की सत्यता की जॉच एवं पुष्टि के लिये वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट तथा तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदारजी से ली जानी उचित है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड के गलत इन्द्राज को सही करने तथा खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.6054 हैक्टयर की बजाय 0.4227 हैक्टयर किया जाना तथा खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर के बजाय 0.4227 हैक्टयर किया जाना तथा इसी अनुरूप उद्घोषणा किया जाना आवश्यक है तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज सही किया जाना आवश्यक है तद हेतु वादपत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी को उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज इन्द्राज की जानकारी दिनांक 29–02–2024 को वादग्रस्त भूमि की खातेदारी तथा नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने पर हुई तब वादी पटवारी के पास गया तथा तहसीलदारजी से मिला ला तो उन्होनें कहा कि हम इन्द्राज को सही नहीं कर सकते आपको दावा करना पड़ेगा तब वादी उक्त वाद पत्र प्रस्तुत कर रहा है तथा वाद कारण दिनांक 29–02–2024 को उत्पन्न हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का विवाद समान है किन्तु इस समय व प्रतिवादी संख्या 1 वादी के साथ नहीं आने से उसे बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 भू धारक राज्य सरकार होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किये गये हैं। वाद पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है।

अनुतोष :–

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.6054 हैक्टयर का रकबा 0.4227 हैक्टयर किया जावे इसी प्रकार खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 का रकबा भी 0.4227 हैक्टयर किया जावे तथा इसी अनुरूप उदघोषणा कर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर तथा नक्शा ट्रेश में सही तरमीम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:43:51 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी जारी की गयी। प्रतिवादी [illegible] ओर से श्री मुकेश पारीक एड0 ने वकालतनामा व जवाब दा[illegible] किया। प्रति[illegible] संख्या 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 ने [illegible]वाब दावा में वादपत्र में दर्ज तथ्यों पर सहमति जाहिर करते हुए दर्ज किया किउक्त कृषि भूमियों में से सड़क

उ[illegible] अधिकारी
[illegible]सीकर(राज.)

निकल जाने के कारण खाता सहवन से राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज हो गया है जबकि उक्त कृषि भूमियों में खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.4227 हैक्टयर व खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.4227 हैक्टयर मौके पर मौजूद है इसी प्रकार वादी बहिस्सा बराबर बराबर अपनी अपनी भूमियों पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं।

अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त कृषि भूमियों खसरा नम्बर 618/1 रकबा 0.4227 हैक्टयर व खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.4227 हैक्टयर का राजस्व रिकार्ड में सही रूप से इन्द्राज किया जाकर खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.4227 हैक्टयर का खाता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.4227 हैक्टयर वादी के नाम दर्ज किये जाने की कृपा करें।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा पेश हुआ। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है किकृषि भूमि खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.6054 हैक्टर, खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर वाके ग्राम कारंगा बडा तहसील फतेहपुर में स्थित है। उक्त भूमि का पूर्व में खसरा नम्बर 340/1 रकबा 1.68 हैक्टयर था। उक्त कृषि भूमि में से एन.एच. सड़क का रकबा 8346 वर्गमीटर निकल जाने से राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.6054 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम, खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.2400 हैक्टयर वादी के नाम तथा खसरा नम्बर 619/2 रकबा 0.8346 हैक्टयर भूमि सड़क एवं परिवहन मन्त्रालय भारत सरकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 आपस में सगे भाई है इसलिये वादी व प्रतिवादी संख्या 1 अपना अपना हिस्सा बहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज रखना चाहते है इसलिये खसरा नम्बर 619/1 रकबा 0.0.4227 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व खसरा नम्बर 619/3 रकबा 0.4227 हैक्टयर वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व संशोधित किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

तहसीलदार फतेहपुर से प्रकरण में रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार फतेहपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1923 दिनांकित 11.09.202[illegible] हुई। तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादी [illegible] बराबर हिस्सेदारी में दर्ज है। पूर्व में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी सुखाराम [illegible] दर्ज थी। ख0न0 619/1 का रकबा 0.6054 है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु [illegible] पर 0.45 है0 तथा ख0न0 619/3 का रकबा 0.24 है0 दर्ज है परन्तु मौके पर 0.3954 है0 है। अतः श्रीमानजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

ग्राम कारंगा बड़ा के ख0न0 619/1 रकबा 0.6054 है0 के स्थान पर 0.45 है0 तथा ख0न0 619/3 रकबा 0.24है0 के स्थान पर 0.3954 है0 किया जाना उचित है।

विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस सुनी। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन, मनन अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर भी विचार किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड, तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट,राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम कारंगा बड़ा के ख0न0 619/1 रकबा 0.6054 है0 के स्थान पर 0.45 है0 तथा ख0न0 619/3 रकबा 0.24है0 के स्थान पर 0.3954 है0 किये जाने के आदेश दिये जाते है।तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी की जावें। वाद व्यय पक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर प्रविष्ट लेखभण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी,
फतेहपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............दमयन्ती कंवर आर.ए.एस..

परमेश्वरलाल उम्र 80 वर्ष पुत्र सुखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कारंगा बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज० मो.न. 9610891293

...........वादी

बनाम

1. डालचन्द उम्र 70 वर्ष पुत्र सुखाराम जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम कारंगा बडा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज० मो.न. 9828596097
2. तहसीलदारजी फतेहपुर–शेखावाटी जिला सीकर राज०

.... प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 भू०रा० अधिनियम 1956

मुकद्दमा नं.....22........................सन्....2024..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री राजकुमार शर्मा एडवोकेट...........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......मुकेश पारीक एड0........ मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम कारंगा बड़ा के ख0न0 619/1 रकबा 0.6054 है0 के स्थान पर 0.45 है0 तथा ख0न0 619/3 रकबा 0.24है0 के स्थान पर 0.3954 है0 किये जाने के आदेश दिये जाते है।

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

निज.........– ....मुबलिग.................–......................बाबत.........................–.......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह.................–............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख अदायगी तक..का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....07......माह ......जुलाई..........सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..

ओहदा...

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested

...PUR FATEHPUR

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	–	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	
महन्ताना वकील	–		महन्ताना वकील	–	
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	
फीस कमिश्नर	–		फीस कमिश्नर	–	
बबत इजराय हुक्मनामा	–		बबत इजराय हुक्मनामा	–	
मुतफरिक	16		मुतफरिक	–	
मीजान	21			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-शेखावाटी (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.07.22 19:42:51 IST
Reason: SelfAttested